प्रश्न: भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका और उसमें हुई मुख्य बहसों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

1. प्रस्तावना

भारतीय संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण का 'सामाजिक-दस्तावेज' (Social Document) है। इसका निर्माण एक संप्रभु **संविधान सभा** द्वारा किया गया, जिसने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच कठिन परिश्रम के माध्यम से इसे मूर्त रूप दिया। संविधान सभा ने केवल कानून नहीं बनाए, बल्कि एक विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। प्रख्यात विद्वान **ग्रैनविले ऑस्टिन** (Granville Austin) ने संविधान सभा को "भारत का सूक्ष्म जगत" (Microcosm of India) कहा था।

2. संविधान सभा की भूमिका: एक निर्माता के रूप में

संविधान सभा की भूमिका को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है:

- **प्रतिनिधि निकाय:** यद्यपि इसका चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं हुआ था, लेकिन इसमें समाज के हर वर्ग (हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जाति, महिलाएँ आदि) का प्रतिनिधित्व था।
- **उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution):** 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' ने संविधान के वैचारिक ढांचे को परिभाषित किया। इसने लोकतंत्र, संप्रभुता और सामाजिक न्याय के संकल्प को स्थापित किया।
- **समिति प्रणाली:** संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 22 समितियां बनाई गई थीं। इनमें **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** की अध्यक्षता वाली **प्रारूप समिति (Drafting Committee)** सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया।

3. संविधान सभा की मुख्य बहसें (Major Debates)

संविधान सभा की बैठकें मतभेदों के बीच सहमति बनाने की एक उत्कृष्ट प्रक्रिया थीं। मुख्य बहसें निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित रहीं:

i. संघवाद बनाम एकात्मकता (Federalism vs. Unitary State):

बहस इस बात पर थी कि केंद्र को कितना शक्तिशाली बनाया जाए। डॉ. अंबेडकर ने

'संघात्मकता' का समर्थन किया लेकिन विभाजन की विभीषिका को देखते हुए केंद्र को सशक्त रखने पर बल दिया। अंततः, भारतीय संविधान को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया, जिसमें एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय ढांचा अपनाया गया।

ii. मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निदेशक तत्व:

विद्वानों के बीच इस पर लंबी बहस हुई कि किन अधिकारों को 'न्यायोचित' (Justiciable) बनाया जाए। सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने नागरिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, जबकि बी.एन. राऊ ने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को निदेशक तत्वों में रखने का सुझाव दिया ताकि राज्य की क्षमता अनुसार उन्हें लागू किया जा सके।

iii. राष्ट्रभाषा का प्रश्न (The Language Issue):

यह सभा की सबसे गरमागरम बहसों में से एक थी। दक्षिण भारतीय सदस्यों ने हिंदी को अनिवार्य बनाने का विरोध किया। अंततः **'मुंशी-अय्यंगर फॉर्मूला'** के तहत एक मध्यम मार्ग निकाला गया, जिसमें हिंदी को 'राजभाषा' (Official Language) का दर्जा दिया गया और अंग्रेजी को अगले 15 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।

iv. पृथक निर्वाचन मंडल बनाम आरक्षण (Minority Rights):

सांप्रदायिक आधार पर 'पृथक निर्वाचन मंडल' (Separate Electorates) को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि इससे विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। इसके स्थान पर डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 'आरक्षण' (Reservation) की व्यवस्था को स्वीकार किया गया ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके।

v. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code):

अनुच्छेद 44 पर हुई बहस में सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि इसे तुरंत लागू किया जाए, जबकि अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए इसे 'निदेशक तत्वों' में शामिल कर भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिया गया।

4. प्रमुख व्यक्तित्वों का योगदान

- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर:** 'संविधान के वास्तुकार' के रूप में उन्होंने विभिन्न धाराओं के बीच समन्वय स्थापित किया और दलितों व वंचितों के अधिकारों को सुनिश्चित किया।
- **जवाहरलाल नेहरू:** उन्होंने उदारवाद और समाजवाद के मिश्रण से संविधान की वैचारिक

नींव रखी।
- **सरदार पटेल:** उन्होंने मौलिक अधिकारों और रियासतों के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **बी.एन. राऊ:** संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का तुलनात्मक खाका प्रस्तुत किया।

5. निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारतीय संविधान सभा की बहसें तर्क, विवेक और राष्ट्रीय एकता की भावना से ओत-प्रोत थीं। संविधान निर्माण में **2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन** का समय लगा, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। संविधान सभा ने केवल एक कानूनी नियमावली नहीं दी, बल्कि एक ऐसा जीवंत दस्तावेज दिया जो पिछले सात दशकों से भारत की विविधता और लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखे हुए है। यह सभा 'सहमति और सामंजस्य' (Consensus and Accommodation) के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।